

(रा.श. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136)


श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय
सिवाणा जिला बालोतरा
(राजस्थान)

विषय :- राजस्व रेकॉर्ड में दुरुस्ती के सम्बन्ध में ।
महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन हैं कि ग्राम प्रातो'का बाहा की जमाबन्दी संवत् 2022-23 के खाता संख्या 33 में मेरा/हमारे नाम गीवाराम पुत्र उमैदा


दर्ज हैं जो अशुद्ध हैं, जिनके स्थान पर मेरा / हमारे शुद्ध नाम गिगा राम पुत्र उमैदा हो

अतः उक्त दुरुस्ती किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करावें ।
दिनांक :-


हस्ताक्षर प्रार्थी/प्रार्थीगण
(गिगा राम)


रिपोर्ट पटवारी / भू.अ. निरीक्षक

उपरोक्त के संलग्न के दस्तावेजों के अनुसार गीवाराम पुत्र उमैदा के बजाय गिगा राम पुत्र उमैदा नाम शुद्ध करने की अनुमति दी जाती है।


रिपोर्ट तहसीलदार / नायब तहसीलदार

रिपोर्ट तहसीलदार / नायब तहसीलदार

रिपोर्ट पटवारी एवं भू.अभिलेख निरीक्षक अनुसार उपवर्णित दुरुस्ती किया जाना उचित हैं ।


तहसीलदार समदडी

GUMS - 2025/590

आदेश


क्रमांक 2025-11/1681

दिनांक 16-10-2025

रिपोर्ट तहसीलदार समदडी अनुसार ग्राम प्रातो'का बाहा की जमाबन्दी संवत् 2022-23 के खाता संख्या 33 में गीवाराम पुत्र उमैदा के बजाय सम्मान सूचक इन्द्राज

गिगा राम पुत्र उमैदा की जाती हैं तदनुसार गिगा राम पुत्र उमैदा दस्तावेजों की कार्यवाही की जावे ।




उपखण्ड अधिकारी सिवाणा
उपखण्ड अधिकारी
सिवाणा (बालोतरा)